"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2016—कार्तिक 20, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शशी उजवने पिता श्री प्रताप चन्द्र उजवने, उम्र 49 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी. 1/392, हुडको कालोनी, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम शशी कुमार उजवने लिखा गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शशी उजवने रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शशी उजवने पिता श्री प्रताप चन्द्र उजवने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शशी कुमार उजवने (Shashi Kumar Ujawane)
पिता श्री प्रताप चन्द्र उजवने
निवासी-एम. आई. जी. 1/392, हुडको कालोनी, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शशी उजवने (Shashi Ujawane)
पिता श्री प्रताप चन्द्र उजवने
निवासी-एम. आई. जी. 1/392, हुडको कालोनी, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जयंत चौधरी (Jayanta Choudhury) आत्मज श्री डी. के. चौधरी (D. K. Choudhury) उम्र 49 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी. 2/232, हुडको कालोनी भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम जयंत चौधरी (Jayant Choudhury) लिखा गया है जो स्पेलिंग गलती है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जयंत चौधरी (Jayanta Choudhury) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे जयंत चौधरी (Jayanta Choudhury) आत्मज श्री डी. के. चौधरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जयंत चौधरी (Jayant Choudhury)
पिता श्री डी. के. चौधरी
निवासी-एम. आई. जी. 2/232, हुडको कालोनी, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जयंत चौधरी (Jayanta Choudhury)
पिता श्री डी. के. चौधरी
निवासी-एम. आई. जी. 2/232, हुडको कालोनी, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती हिमांगी देशमुख पति श्री आकाश देशमुख, आयु 28 वर्ष, निवासी-हाउसिंग बोर्ड, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. रिंसी डेनियल आत्मजा श्री पी. जी. डेनियल था तथा यही नाम मेरे समस्त अभिलेख में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 26-04-2016 को श्री आकाश देशमुख आ. श्री चन्द्रकांत देशमुख के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती हिमांगी देशमुख रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती हिमांगी देशमुख पति श्री आकाश देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रिंसी डेनियल
आत्मजा श्री पी. जी. डेनियल
निवासी-हाउसिंग बोर्ड, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती हिमांगी देशमुख
पति श्री आकाश देशमुख
निवासी-हाउसिंग बोर्ड, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तुषार बी. कुलकर्णी (Tushar B. Kulkarni) पिता स्व. श्री बी. व्ही. कुलकर्णी (Shri B. V. Kulkarni) निवासी- मकान नं. 608, गुलमोहर, तालपुरी, फेस-1, रूआबांधा भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में AGM के पद पर सेवारत हूं. मेरे अधिकारिक (आफिसियल) रिकार्ड में मेरी पुत्री का नाम केतकी (Ketki) दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम केतकी तुषार कुलकर्णी (Ketki Tushar Kulkarni) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को केतकी तुषार कुलकर्णी आत्मजा तुषार बी. कुलकर्णी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
केतकी (Ketki) आत्मजा तुषार बी. कुलकर्णी निवासी-मकान नं. 608, गुलमोहर, तालपुरी, फेस-1, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) 490006	केतकी तुषार कुलकर्णी (Ketki Tushar Kulkarni) आत्मजा तुषार बी. कुलकर्णी निवासी-मकान नं. 608, गुलमोहर, तालपुरी, फेस-1, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) 490006

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार लोधी आत्मज स्व. श्री सेउक लोधी, उम्र 58 वर्ष, निवासी-शांति नगर भिलाई-03, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पत्नि का नाम श्रीमति आशा देवी लोधी है तथा उसकी जन्म तिथि 12-09-1960 है जो उनके समस्त शालेय अभिलेख एवं आधार कार्ड में दर्ज है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में मास्टर आपरेटर के पद पर कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी धर्मपत्नि का नाम श्रीमति आशा देवी तथा उनकी जन्म तिथि 01-01-1965 दर्ज हो गया है जो त्रुटिपूर्ण एवं गलत है. मैं अपनी पत्नि का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति आशा देवी लोधी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नि को श्रीमति आशा देवी लोधी पति श्री अशोक कुमार लोधी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमति आशा देवी जन्म तिथि 01-01-1965 पति श्री अशोक कुमार लोधी निवासी-शांति नगर भिलाई-03 तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमति आशा देवी लोधी जन्म तिथि 12-09-1960 पति श्री अशोक कुमार लोधी निवासी-शांति नगर भिलाई-03 तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आकाश कुमार अग्रवाल (Akash Kumar Agrawal) पिता श्री ललित कुमार अग्रवाल माता श्रीमती ऊषा देवी अग्रवाल, निवासी ए/14/3, सेक्टर 3, उदया सोसायटी टाटीबंद, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम आकाश कुमार अग्रवाल है जो मेरे शासकीय दस्तावेज जैसे पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, विभिन्न बैंक खाता के अभिलेख, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेज में उल्लेखित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम आकाश अग्रवाल (Aakash Agrawal) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं

अत: अब मुझे आकाश अग्रवाल पिता श्री ललित कुमार अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
आकाश कुमार अग्रवाल (Akash Kumar Agrawal) पिता श्री ललित कुमार अग्रवाल निवासी-ए/14/3, सेक्टर 3, उदया सोसायटी टाटीबंद, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)	आकाश अग्रवाल (Aakash Agrawal) पिता श्री ललित कुमार अग्रवाल निवासी-ए/14/3, सेक्टर 3, उदया सोसायटी टाटीबंद, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती धनेश्वरी पति श्री बेनी राम देवांगन, उम्र 39 वर्ष, निवासी-हरिनगर कातुलबोड़ दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम धनेश्वरी पिता बुजे राम दर्ज है. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती विभा देवांगन (Vibha Dewangan) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती विभा देवांगन पति श्री बेनी राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कुमारी धनेश्वरी (Ku. Dhaneshwari) पिता श्री बुजे राम निवासी- वार्ड नं. 57, हरिनगर कातुलबोड़ दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती विभा देवांगन (Smt. Vibha Dewangan) पति श्री बेनी राम देवांगन निवासी- वार्ड नं. 57, हरिनगर कातुलबोड़ दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

फार्म-4 नियम देखिये

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/911/लो. न्या./अ. वि. अ./वा.-1.— आवेदक श्री मुरारी लाल गुप्ता पिता स्व. दुर्गा प्रसाद गुप्ता, निवासी सदर बाजार एस. बी. आई. ए. टी. एम. के सामने सिम्स चौक के पास बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर ने स्व. परागीसाव स्मृति भगवान "श्री रामचन्द्र जी का मंदिर धार्मिक न्यास" ग्राम लगरा को न्यास पंजी में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	ट्रस्ट का नाम व पता	:	स्व. परागीसाव स्मृति भगवान "श्री रामचन्द्र जी का मंदिर धार्मिक न्यास" ग्राम लगरा, तहसील व जिला बिलासपुर, छ. ग.
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम लगरा स्थिति कृषि भूमि अचल सम्पत्ति 6.00 एकड़ की कीमत रु. 63,18000/- एवं मंदिर परिसर निर्मित सम्पत्ति का मूल्य 6,00,000/- कुल प्राक्कलित मूल्य रु. 69,18,000/-

नूतन कुमार कंवर,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2016

प्र. क्र./ब-113 (1)/वर्ष 2015-16

क्रमांक/592/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2016.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल आत्मज श्री व्यास नारायण अग्रवाल निवासी-03 परमानंद नगर मार्ग महोबा बाजार रायपुर द्वारा "माँ फाउण्डेशन सार्वजनिक न्यास" पता मुक्तामणी अग्रवाल डी-02 मौल श्री विहार पुरैना रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"मॉ फाउण्डेशन सार्वजनिक न्यास " पता मुक्तामणी अग्रवाल डी-02 मौल श्री विहार पुरैना रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	1,00,000/- रु. (एक लाख रुपये) नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 26-10-2016 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपो पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 30-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुदा से जारी किया गया.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

प्र. क्र./ब-113 (1)/वर्ष 2016-17

क्रमांक/593/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2016.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रमोद कुमार सेठिया पिता करनी दान सेठिया निवासी-पचपेढ़ीनाका रायपुर द्वारा "श्री तनसुख दास जी सेठिया मेमोरियल ट्रस्ट" पता- बी/605 वाल्फोर्ट एन्क्लेव रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के पास, पचपेढ़ीनाका, रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री तनसुख दास जी सेठिया मेमोरियल ट्रस्ट" पता- बी/605 वाल्फोर्ट एन्क्लेव रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के पास, पचपेढ़ीनाका, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	11,000/- रु. (ग्यारह हजार रुपये) नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 30-11-2016 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 17-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुदा से जारी किया गया.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

प्र. क्र./ब-113 (1)/वर्ष 2016-17

क्रमांक/595/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2016.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रभात चतुर्वेदी पिता अशोक कुमार चतुर्वेदी न्यू शांति नगर रायपुर द्वारा "श्री महालक्ष्मी चेरिटेबल ट्रस्ट" पता- प्रभात चतुर्वेदी पिता श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी 1012 न्यू शांति नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री महालक्ष्मी चेरिटेबल ट्रस्ट" पता- प्रभात चतुर्वेदी पिता श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी 1012 न्यू शांति नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	5,100/- रु. (पांच हजार एक सौ रुपये) नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 30-11-2016 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपो पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 17-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुदा से जारी किया गया.

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

प्र. क्र./ब-113 (1)/वर्ष 2016-17

क्रमांक/594/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2016.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुख्य ट्रस्टी डॉ श्रीमती मोना लांजेवार पति डॉ मनोज लांजेवार निवासी-05 उद्यान मार्ग, हनुमान मंदिर के पास, चौबे कालोनी रायपुर द्वारा "ओम सांई नाथ ट्रस्ट" पता-05 उद्यान मार्ग चौबे कालोनी रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"ओम सांई नाथ ट्रस्ट" पता-05 उद्यान मार्ग, हनुमान मंदिर के पास, चौबे कालोनी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	7000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 11-11-2016 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 19-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुदा से जारी किया गया.

बी. एल. गजपाल
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/1078/उपजां /परिसमापन/2016.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2010/903 दिनांक 10-11-2010 द्वारा केंवट मछुआ सहकारी समिति मर्या. बुड़गहन पं. क्र. 99 दिनांक 22-01-1986 विकासखण्ड बलौदा तह. बलौदा जिला जांजगीर चांपा को छ. ग. सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान में उक्त सोसायटी का परिसमापक श्री ए. के. सूर्यवंशी. सहकारी निरीक्षक है.

परिसमापक द्वारा उक्त सोसायटी के पूंजी एवं देनदारियों का तथा सम्पत्ति एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सोसायटी के समस्त दायित्व एवं सम्पत्तियां शून्य हो चुकी है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों को प्रदत्त शक्तियां जो वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं एस. एस. थवाईत सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत् केंवट मछुआ सहकारी समिति मर्या. बुड़गहन पं. क्र. 99 दिनांक 22-01-1986 विकासखण्ड बलौदा तह. बलौदा जिला जांजगीर चांपा का पंजीयन निरस्त करते हुए इस सोसायटी के निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) स्वरूप को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-10-2016 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एस. थवाईत,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.